

आदेश

मार्च 2018 की समाप्ति एवं बिहार विधान सभा सत्र प्रारंभ रहने के मद्देनजर सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रखण्ड/अंचल/ अनुमण्डल एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विषम परिस्थिति में अवकाश हेतु अधोहस्ताक्षरी से स्वयं मिलकर अवकाश की स्वीकृति के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।


यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

जिला पदाधिकारी
पूर्णिया

ज्ञापांक-.....1267...../सी0, पूर्णिया, दिनांक-09/3/2018

- प्रतिलिपि :- सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ प्रखंड/अंचल स्तरीय पदाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पूर्णिया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी कार्यपालक अभियंता, पूर्णिया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्णिया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सिविल सर्जन, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, पूर्णिया/उप विकास आयुक्त, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03-3-18
जिला पदाधिकारी
पूर्णिया

